

फर्द अहकाम

बदरी वगै० बनाम देवनारायण गीणा (मृतक दौराने दावा) वगै०

ना पत्र संख्या: 175/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र	विशेष विवरण
2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के एक अधिकारी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245/551 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/515 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/552 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/516 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.4100 हैक्टेयर जो कि ग्राम चक गेटोर, पटवार हल्का श्योपुर, भू. अभि. नि. शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबित होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं, जिसमें किसी अन्य की आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं रही है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245/551 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/515 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/552 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/516 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.4100 हैक्टेयर जो कि ग्राम चक गेटोर, पटवार हल्का श्योपुर, भू. अभि. नि. शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, का आवश्यकतानुसार वाद सीमा ज्ञान पत्थरगढी की जाकर तार फेन्सींग मय पुलिस इमदाद जरिये पुलिस थाना प्रताप नगर (पूर्व) जयपुर के कराये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे।</p> <p>प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 एवं 2 लगायत 5 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।</p> <p>वहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई, दौराने वहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>वहस प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245/551 रकबा 0.0200</p>




उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

2024
बदरी वगैरे बनाम देवनारायण मीणा (मृतक दौराने दावा) वगैरे

प्रार्थना पत्र संख्या: 175/2024

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/515 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/552 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/516 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.4100 हैक्टेयर जो कि ग्राम चक गेटोर, पटवार हल्का श्योपुर, भू. अभि. नि. शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है, की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश क्रमशः दिनांक 14.10.2022 के अनुसार कायम करें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता प्राप्त करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)